

# ORDER SHEET 669-2011Rct

THECOURT - - - - -

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
23 -01-17	<p>राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।  आरोपीगण सहित अधि0श्री मुकेश कुशवाह उप0  प्रकरण आज बचाव साक्ष्य हेतु नियत है।  आज दिनांक को फरियादी जगत सिंह एवं आहत लाली उप0  है। फरियादी व आहत की पहचान अधि0श्री ए0एस0जादौन द्वारा की गई है।  इसी प्रक्रम उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का  निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का  निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। अतः प्रकरण मीडिएशन की  कार्यवाही हेतु श्री पंकज शर्मा जे0एम0एफ0सी0 गाहद के न्यायालय में भेजा जाता  है। इस संबंध में रेफरल ऑर्डर तैयार किया जावे।  उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वह मीडिएशन की  कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री पंकज शर्मा जे0एम0एफ0सी0 गोहद के  न्यायालय में उप0 हो। प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु थोड़ी देर पश्चात पेश हो।</p> <p>जे0एम0एफ0सी0</p> <p>पक्षकार पूर्ववत  प्रकरण में मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त।  इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2) के अंतर्गत  राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति  चाही गयी। फरियादी जगत सिंह द्वारा प्रकरण में द0प्र0स की धारा 320 (4) के  अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मृतक श्रीदेवी की ओर से भी राजीनामा करने की  अनुमति चाही गई।  सर्वप्रथम द0प्र0स0 की धारा 320 (4) के आवेदन पर विचार किया गया।  प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी जगत सिंह ने मृतक श्रीदेवी की ओर से  प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही है। श्रीदेवी फरियादी जगत सिंह की  पत्नि है एवं जगत सिंह मृतक श्रीदेवी का पति होकर श्रीदेवी का विधिक प्रतिनिधि  होने के नाते उसकी ओर से राजीनामा करने के लिये सक्षम है अतः वाद विचार  आवेदन स्वीकार किया गया एवं जगत सिंह को मृतक श्रीदेवी की ओर से भी  राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई।  तत्पश्चात द0प्र0स0 की धारा 320 (2) के आवेदन पर विचार किया गया।  प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि  आरोपी माताप्रसाद, वृंदावन, वासुदेव, कंचन सिंह एवं राजाराम के विरुद्ध भादस की  धारा 504, <u>323/34</u>, 325/34, एवं 323/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं।  उपरोक्त धारायें न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य हैं। फरियादी व आहत  ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया  है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्व</p>	

	<p>परा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा के आधार पर आरोपी माताप्रसाद, वृंदावन, वासुदेव, कंचन सिंह एवं राजाराम को भादस की धारा 504, <u>323/34</u>, 325/34, एवं 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>आरोपीगण पूर्व से जमानत हैं उसके जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।</p> <p>प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार में जमा किया जावे।</p> <p style="text-align: right;">सही /— प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी. गोहद</p>	